आज़ादी का अमृत महोत्सव

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग

7310, Food Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan
Tel. No. 0141-2385660 / 0141-2926427 Email :- jsminority@rajasthan.gov.in & dsmaraj@gmail.com

क्रमांक प.15(2)अल्प.वक्फ/2022/RK/00849 जयपुर दिनांक 08.07.2022

आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 में चयन उपरान्त राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 यथा संशोधित नियम, 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत इस विभाग के समसंख्यक पत्रावली के आदेश क्रमांक 01953 दिनांक 24.12.2021 एवं 00603 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यार्थियों को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति आदेश प्रसारित किये गये है। उक्त आदेश के क्रम में कार्यग्रहण करने वाले 16 प्रशिक्षु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, ह०च०मा० राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) जयपुर में संस्थागत प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त इस विभाग के आदेश क्रमांक 00848 दिनांक 08.07.2022 द्वारा जिला कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है।

अतः विभाग में नियमित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उपलब्ध होने पर वर्तमान में निम्न जिलों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत निम्न जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सेवा अल्पसंख्यक मामलात विभाग से समाप्त की जाती है :–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान
1	श्री रती खान	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भरतपुर
2	श्री मदन लाल सुदेंशा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जालौर
3	श्री हनीफ खान	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पाली
4	श्री अमरसिंह ढाका	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ
5	श्री अजय कुमार भार्गव	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, श्रीगंगानगर
6	श्री आजाद खान पठान	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाडा

उक्त प्रतिनियुक्ति से कार्यमुक्त किये गये अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजरथान, बीकानेर में देना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

8.7.2022
(जमील अहमद कुरैशी)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
8. **संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को, जिसकी प्रतिनियुक्ति सेवा समाप्त की गई है। को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से अपने मूल विभाग में अपनी उपस्थिति दिया जाना सुनिश्चित करें।**
9. संबंधित अधिकारिगण को पालनार्थ।
10. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

8.7.2022
शासन संयुक्त सचिव